



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228882
CG-DL-E-10082021-228882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2985]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2021/श्रावण 19, 1943

No. 2985]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2021/SHRAVANA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

का.आ. 3216(अ).—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245कक की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, नीचे अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड की स्थापना करती है, जिसका मुख्यालय उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित स्थान पर है, अर्थात्:-

अनुसूची

क्रमांक सं.	समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1.	समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड -I	दिल्ली
2.	समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड -II	दिल्ली
3.	समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड -III	दिल्ली
4.	समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड -IV	कोलकाता
5.	समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड -V	मुंबई

क्रमांक सं.	समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
6.	समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड -VI	मुंबई
7.	समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड-VII	चेन्नई

[अधिसूचना सं. 91/2021/फा.सं. 370142/33/2021-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव